आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3806(अ).—केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) दूसरा आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किए जाते हैं, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं विर्निष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका उपांतरण करते हैं या उसका निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विधि का निरसन या संशोधन —

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता , दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

IndiaCode

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो ।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

राज्य विधियां

1 जम्मू-कश्मीर लंबरदारी अधिनियम

(1972 की सं. X)

पूरे अधिनियम में ''सरकार'' के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन'' शब्द रखें।

धारा 1. – (i) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर" शब्दों के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें; और

(ii) उप-धारा (3) में ''शासकीय राजपत्र'' शब्दों के स्थान पर ''राजपत्र'' शब्द रखें।

2. जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार योजना अधिनियम

(1972 का XXIV)

पूर्णत: निरसन करें।

3. जम्मू-कश्मीर लोक व्यक्ति और लोक सेवक आस्तियों की घोषणा तथा अन्य उपबंध अधिनियम, 1983 (1983 का V)

पूर्णत: निरसन करें।

4. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1982

(1982 का VII)

पूर्णत: निरसन करें।

5. जम्मू-कश्मीर राज्य निष्क्रांत (संपत्ति प्रबंधन) अधिनियम, संवत् 2006 (1949एडी) (2006 का VI)

अन्यथा उपबंधित के सिवाय पूरे अधिनियम में ''सरकार'' और ''शासकीय राजपत्र'' शब्दों के स्थान पर क्रमश: ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन'' और ''राजपत्र'' रखें।

उद्देशिका अथवा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पूरे अधिनियम में ''जम्मू-कश्मीर'' और ''राज्य'' शब्दों के स्थान पर क्रमश: ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' और ''संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें।

उद्देशिका.– ''जम्मू-कश्मीर राज्य में'', जहां कहीं वह आते हैं, शब्दों के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में'' शब्द रखें।

धारा 4क. – ''निष्क्रांत संपत्ति विभाग के प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासन'' शब्द रखें।

धारा 4ख. – लोप करें।

धारा 6. – उप-धारा (1) में ''जम्मू-कश्मीर शासकीय राजपत्र'', जहां कहीं वह आते हैं, शब्दों के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का राजपत्र'' शब्द रखें।

धारा 9क. – खंड (ख) में, उप खंड (vii) में ''कश्मीर घाटी में आम तौर पर ''पंद पंद'' के नाम से जाने जाने वाले'' शब्दों का लोप करें।

धारा 10क. – उप-धारा (6) में, खंड (ख) में ''निष्क्रांत संपत्ति विभाग के प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन'' शब्द रखें।

धारा 14क. – (i) उप-धारा (1) में ''जो वित्त आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो'' का लोप करें; और

(ii) धारा 14क में, दूसरे परंतुक में ''राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत् 1990'' और ''धारा 4, धारा 6 और धारा 7'' के स्थान पर क्रमश: 'भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' और ''धारा 11 और धारा 19'' शब्द और अंक रखें।

धारा 14ख. – उप-धारा (2) में ''राज्य अधिग्रहण अधिनियम, संवत् 1990 की धारा 9, धारा 9क, धारा 11, धारा 12, धारा 18, धारा 23, धारा 24 और 31'' शब्दों और अंकों के स्थान पर 'भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' की धारा 21, धारा 23, धारा 37, धारा 64, धारा 69 और धारा 76'' शब्द और अंक रखें।

धारा 15. – उप-धारा (2) में ''जम्मू-कश्मीर शासकीय राजपत्र '' शब्दों के स्थान पर, ''राजपत्र'' शब्द रखें।

धारा 22. – ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 (1989 का XXIII)'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)'' शब्द और अंक रखें।

धारा 24. – ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 (1989 का XXIII)'', शब्दों और अंकों, जहां कहीं वह आते हैं, के स्थान पर, ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)'' रखें।

धारा 25. – ''जम्मू-कश्मीर शासकीय राजपत्र'' शब्दों के स्थान पर, ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का राजपत्र'' शब्द रखें।

धारा 26. – ''जम्मू-कश्मीर शासकीय राजपत्र'' शब्दों के स्थान पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का राजपत्र'' शब्द रखें।

धारा 28. – ''रणबीर दंड संहिता (1989 का XII)'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)'' शब्द और अंक रखें।

धारा 29. – ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1977 (1977 का X)'', ''रणबीर दंड संहिता (1989 का XII)'' तथा "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 (1989 का XXIII) की धारा 480 और धारा 482" शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)'', भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)'' और ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346'' शब्द और अंक रखें।

धारा 30क. – धारा के शीर्षक में ''प्रभारी मंत्री'' शब्दों का लोप करें। धारा में ''निष्क्रांत संपत्ति विभाग के प्रभारी मंत्री'' और ''प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन'' शब्द रखें।

धारा 34. – जम्मू-कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, 1977 (1977 का XII)", शब्दों और अंकों के स्थान पर ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)'' शब्द और अंक रखें।

धारा 37. – ''जम्मू-कश्मीर शासकीय राजपत्र" शब्दों के स्थान पर ''राजपत्र'' शब्द रखें।

धारा 39. – उप-धारा (1) में ''जम्मू-कश्मीर शासकीय राजपत्र'' शब्दों के स्थान पर'' राजपत्र'' शब्द रखें।

6. लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2018 का LVI)

पूरे अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ''सरकार'' और ''राज्य'', ''शासकीय राजपत्र'' और ''जम्मू-कश्मीर'' शब्दों के स्थान पर, ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन'', ''राजपत्र'' और ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें।

धारा 2.– (i) खंड (क) के पश्चात, खंड(कक) अंत:स्थापि, अर्थात्,–

"(कक) "प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है'', और

(ii) खंड (ज) का लोप करें।

धारा 10.– उप-धारा (1) में ''राज्यपाल'' शब्द के स्थान पर ''उप-राज्यपाल'' शब्द रखें।

धारा 11.– उप-धारा (1) में ''मुख्यमंत्री'' शब्द के स्थान पर ''उप-राज्यपाल का सलाहकार'' शब्द रखें।

धारा 12.– उप-धारा (5) में ''क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कुलपति पांच वर्ष तक पद पर रहेगा'' के स्थान पर, ''कुलपति तीन वर्ष की अवधि, जिसका कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में जो वह उचित समझे, कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के पश्चात दो वर्ष की और अवधि तक विस्तार किया जाएगा, तक अथवा उसके 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर रहेगा और कुलपति की परिलब्धियां तथा अन्य सेवा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं तथा उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा; शब्द रखें।

धारा 19.– उप-धारा (1) में,–

(i) खंड (iii) में ''प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासनिक सचिव'' शब्द रखें; और

(ii) खंड (vii) में ''राज्य में स्थापित अन्य क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों'' शब्दों के स्थान पर ''कुलाधिपति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अन्य विश्वविद्यालयों के दो कुलपति'' शब्द रखें।

धारा 21.– उप-धारा (1) में,

(i) खंड (vi) में, 'चक्रानुक्रम द्वारा राज्य में स्थापित अन्य क्लस्टर विश्वविद्यालयों का'' शब्दों के स्थान पर ''अन्य विश्वविद्यालयों का'' शब्द रखें; और

(ii) खंड (viii) में, 'राज्य में स्थापित अन्य क्लस्टर विश्वविद्यालयों का'' के स्थान पर ''अन्य विश्वविद्यालयों का'' शब्द रखें।

धारा 23.– खंड (vi) और (vii) में'' राज्य में स्थापित अन्य क्लस्टर विश्विद्यालयों का'' शब्दों के स्थान पर अन्य विश्वविद्यालयों का'' शब्द रखें।

[फा. सं. 11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3806(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Ladakh, namely:-

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of State Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

THE SCHEDULE
(See paragraph 3)

STATE LAWS

1. THE JAMMU AND KASHMIR LAMBARDARI ACT
(X of 1972)

Throughout the Act for "Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh",

Section 1. – (i) in sub-sections (1) and (2), for "Jammu and Kashmir" , substitute "Union territory of Ladakh"; and

(ii) in sub-section (3), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

2. THE JAMMU AND KASHMIR LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT
(XXIV of 1972)

Repeal as a whole.

3. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC MEN AND PUBLIC SERVANTS DECLARATION OF ASSETS AND OTHER PROVISIONS ACT, 1983
(V of 1983)

Repeal as a whole.

4. THE SHER-I-KASHMIR UNIVERSITIES OF AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY ACT,1982
(VII of 1982)

Repeal as a whole.

5. THE JAMMU AND KASHMIR STATE EVACUEES (ADMINISTRATION OF PROPERTY) ACT, SVT. 2006 (1949 A.D.) (VI of 2006)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act, except in preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Preamble.–	For "in the Jammu and Kashmir State" wherever occurring substitute "in the Union territory of Ladakh"
Section 4A. –	For "Minister Incharge Evacuee property Department", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".
Section 4B. –	Omit.
Section 6. –	In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir Government Gazette", where ever occurring substitute "Official Gazette of the Union territory of Ladakh".
Section 9A. –	In the clause (b), in sub-clause (vii), omit "commonly known as "Pand Pand" in Kashmir Valley".
Section 10A. –	In sub-section (6), in clause (b), for "Minister Incharge of the Evacuee property Department " substitute "the Administration of Union territory of Ladakh"
Section 14A. –	(i) in the sub-section (1), omit "not below the rank of Financial Commissioner"; and (ii) in section 14A, in second proviso, for "State Land Acquisition Act, Samvat 1990" and "sections 4, 6 and 7" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" and "Sections 11 and 19" respectively.
Section 14B. –	In sub-section (2), for the "sections 9,9A, 11, 12, 18, 23, 24 and 31 of the State Acquisition Act, Samvat 1990", substitute "sections 21,23, 37,64, 69 and 76 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".
Section 15. –	In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir Government Gazette" substitute "Official Gazette".
Section 22. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)", substitute "The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 24. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)" whenever occurring, substitute "The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 25. –	For "Jammu and Kashmir Government Gazette" , substitute "Official Gazette of the Administration of Union territory of Ladakh".
Section 26. –	For "Jammu and Kashmir Government Gazette" substitute "Official Gazette of the Administration of Union territory of Ladakh".
Section 28. –	For "Ranbir Penal Code (XII of 1989)", substitute "The Indian Penal Code (45 of 1860)".

IndiaCode

Section 29. – For "Code of Civil Procedure, 1977 (X of 1977)", "Ranbir Penal Code (XII of 1989)" and "sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1989 (XXIII of 1989)", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)", "The Indian Penal Code (45 of 1860)" and "sections 345 and 346 of The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 30A. – In section heading omit "of the Minister Incharge" in the section for "Minister Incharge of the Evacuee property Department " and "Minister Incharge", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" in both the instances.

Section 34. – For "Jammu and Kashmir Evidence Act, 1977 (XII of 1977)", substitute "The Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 37. – For "Jammu and Kashmir Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 39. – In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir Government Gazette" substitute "Official Gazette".

6. THE UNIVERSITY OF LADAKH ACT, 2018 (LVI of 2018)

Throughout the Act except as otherwise provided, for "Government" and "State", "Government Gazette", and "Jammu and Kashmir", substitute "Administration of Union territory of Ladakh", "Official Gazette" and "Union territory of Ladakh".

Section 2.– (i) after clause (a), insert clause (aa), namely,–

"(aa) "Administration" means the Administration of the Union territory of Ladakh ;" and

(ii) omit clause (h).

Section 10.– In sub-section (1), for "Governor", substitute "Lieutenant Governor".

Section 11.– In sub-section (1), for "Chief Minister", substitute "Advisor to the Lieutenant Governor".

Section 12.– In sub-section (5), for "The Vice Chancellor of the Cluster University shall hold office for five years", substitute "The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years with an extension of another two years after evaluation of performance by the Chancellor in the manner as he deems fit or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not be varied to his disadvantage after his appointment."

Section 19.– In sub-section (1),–

(i) in clause (iii), for "the Minister, Incharge", substitute "Administrative Secretary" ; and

(ii) in clause (vii), for "the Vice-Chancellors of the other cluster Universities established in the State", substitute "two Vice-Chancellors of other Universities as may be nominated by the Chancellor".

Section 21.– In sub-section (1),
(i) in clause (vi), for "of the other Cluster Universities established in the State by rotation", substitute "of other Universities" ; and

(ii) in clause (viii), for "of the other Cluster Universities established in the State", substitute "of other Universities".

Section 23.– In clauses (vi) and (vii) for "of the other Cluster Universities established in the State", substitute "of other Universities".

[F. No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.